

Case No. 600345/16

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

6/11/16

आज आरक्षी केन्द्र के उपनिरीक्षक / साहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक की ओर से अपराध
को द्वारा शान्त धारा अधिनियम के अधीन दण्डनीय
भा0द0सं0 / अपराध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।
राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री. ~~राजेश कुमार~~ उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण 2 डाकुपार पुत्र हरबाइडा
निवासी / निवासीगण हरबाइडा
थाना हरबाइडा जिला सिद्ध राज्य ~~सिद्ध~~
उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
श्री. ~~राजेश कुमार~~ द्वारा मेगोरेण्डम / तकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा0द0सं0 / 34 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190--(1) द0प्र0सं0 के अधीन संज्ञान दिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी 600345/16 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0सं0 के धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र पढ़ पढ़ने के लिए पदेनीय त्रिनिशुल्क दिलाई जावे।

चूंकि अपराध जमानत के अन्तर्गत अभियुक्त / अभियुक्तगण को और से 7000/- (सात हजार) न इतनी ही शर्त पर सतिनामा का नाम परत जावे।

चूँकि मागला सक्षित विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 34 भा0द0स0/ 307 के अধिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति 2000/- मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिसूति उपरान्त अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 5624 रसीद क0 87 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class
Golmari Dist. Bhilai (M.P.)

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class
Golmari Dist. Bhilai (M.P.)

21/4/21